<u>कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई</u>

आदेश संख्या 141 /2020

दिनांक–18.09.2020

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 03.06.2020 में समाविष्ट दिशा निर्देश संख्या–15 में वैश्विक महामारी कोरोना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के संचालन की व्यवस्था में निम्नलिखित दिशा निर्देश दिया गया है:–

"15- Where the District Administration/ CMO concerned is of the opinion that the District/Outlying Court Campus should be closed for a particular period and/or the District Judge is of the opinion that the District Court/Outlying Court should be closed for particular period, then the District Court/Outlying Court may be closed for the said period and an intimation mentioning the specific reasons may be sent to Allahabad High Court."

राजकीय मेडीकल कालेज, जालौन–उरई से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अनिल कुमार यादव, अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), जालौन स्थान उरई, कोविड–19 की चिकित्सीय जांच में पॉजीटिव पाये गये है।

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर कोविड–19 के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों के प्रकाश में मुख्यालय स्थित सभी न्यायालयों/कार्यालयों व सम्पूर्ण न्यायालय परिसर का सेनेटाइजेशन कराये जाने हेतु एवं जनपद न्यायालय बन्द किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी का मत प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका उरई को प्रेषित की गयी।

जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई के पत्र सं0 844/ओ0एस0डी0–कोविड–19 दिनांक 18.09.2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उप जिलाधिकारी के पत्र सं0 301/एस0टी0–एस0डी0एम0 दिनांक 18.09.2020 द्वारा संज्ञानित कराया गया है कि मुहल्ला पटेलनगर स्थित न्यायिक अधिकारी आवासीय परिसर में एक न्यायिक अधिकारी के कोरोना वायरस संकमण से पॉजीटिव पाये जाने के कारण न्यायिक अधिकारी आवासीय परिसर एवं जिला न्यायालय परिसर कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, जालौन स्थान उरई ने पत्रांक–मु0चि0अ0/एस0टी0/2020–21/3441 दिनांक 18.09.2020 के द्वारा अवगत कराया है कि कोविड–19 प्रोटोकाल के अनुसार कार्यालय को 72 घंटे बन्द करके सेनेटाइज किया जाएगा तथा कोविड–19 पॉजीटिव मरीज की कान्टैक्ट ट्रेसिंग कर उनका टेस्ट किया जाएगा।

प्रभारी अधिकारी प्रशासन/प्रभारी अधिकारी नजारत, केन्द्रीय नाजिर तथा कोर्ट मैनेजर के सहयोग से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्रों 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts दिनांकित 03.06.2020 एवं 1298/LXXXVII-CPC/e-Courts दिनांकित 28.07.2020 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुये न्यायालय खोले जाने के पूर्व एवं न्यायालय बन्द होने के पश्चात मुख्यालय स्थित सभी न्यायालयों/कार्यालयों व सम्पूर्ण न्यायालय परिसर एवं दीवानी न्यायालय से सटा हुआ न्यायिक अधिकारीगण आवासीय परिसर की सम्पूर्ण सेनेटाइजेशन जिला प्रशासन/मुख्य चिकित्साधिकारी के सहयोग से कराया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में में मुख्य चिकित्साधिकारी/चिकित्साधीक्षक, जालौन स्थान उरई एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका उरई को आदेशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर कोविड–19 के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों के प्रकाश में मुख्यालय स्थित सभी न्यायालयों/कार्यालयों व सम्पूर्ण न्यायालय परिसर व दीवानी न्यायालय से सटा हुआ न्यायिक अधिकारीगण आवासीय परिसर की अविलम्ब सेनेटाइजेशन कराया जाना सुनिश्चित करें।

जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई मुख्यालय परिसर दिनांक 19.09.2020 से अग्रिम आदेश तक सेनेटाइजेशन कराये जाने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 1298/LXXXVII-CPC/e-Courts दिनांकित 28.07.2020 के पैरा–22 में लिखित अंश को हटाने के फलस्वरूप इस सम्बन्ध में पूर्व में पारित आदेश सं0 98/2020 दिनांकित 01.08.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार शर्तों के अधीन वीडियो कांफ्रेसिंग JITSI Video-Conferncing Software के माध्यम से अपने आवासीय कार्यालय से लैप–टॉप पर मात्र चिन्हित न्यायालय न्यायिक कार्यवाही प्रारम्भ/सम्पादित करेंगे।

विचाराधीन बन्दियों से संबंधित माह सितम्बर 2020 के दौरान समस्त सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय वादों से संबंधित अपराधों के न्यायिक कार्य/रिमाण्ड एवं प्रतिभूतियों के सत्यापन, अवमुक्त आदेश संबंधी सत्यापन हेतु श्री विजय बहादुर यादव, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जालौन स्थान उरई एवं मुख्यालय स्थित समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा विचारणीय वादों से संबंधित अपराधों के न्यायिक कार्य/रिमाण्ड एवं प्रतिभूतियों के सत्यापन, अवमुक्त आदेश संबंधी सत्यापन हेतु श्री महेन्द्र कुमार रावत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालौन स्थान उरई को नामित किया जाता है।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस दौरान न्यायालय परिसर में विद्वान अधिवक्ताओं/वादकारियों आदि का प्रवेश पूर्ण रूप से निषेध रहेगा।

प्रभारी अधिकारी प्रशासन, प्रभारी अधिकारी नजारत, नोडल आफीसर कम्प्यूटर एवं न्यायालय प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न पत्रों में निहित निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ न्यायालय प्रबन्धक को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय परिसर में प्रवेश करने के वाले प्रत्येक कर्मचारी की थर्मल स्केनिंग जांच अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी कर्मचारी न्यायालय परिसर में प्रवेश न करे।

कोविड–19 जांच में पॉजिटिव पाये गये अधिकारी स्वयं को क्वारंटीन करना सुनिश्चित करें एवं अधिकारी के सम्पर्क में आये सभी विद्वान अधिवक्तागण, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण अपना–अपना कोविड–19 का परीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें।

नोडल अधिकारी कम्प्यूटर एवं सिस्टम आफिसर जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई को आदेशित किया जाता है कि वे इस दौरान माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts दिनांकित 03.06.2020 एवं 1298/LXXXVII-CPC/e-Courts दिनांकित 28.07.2020 के अनुपालन में वीडियो कान्फेंसिंग के द्वारा सुनवाई से सम्बन्धित दिशा निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।

सुरक्षा की दृष्टि से दिनांक 19.09.2020 से अग्रिम आदेश तक गेट संख्या–1 पूर्णतः बन्द रहेगा तथा समस्त कर्मचारीगण का गेट संख्या–2 से आवागमन रहेगा। न्यायालय परिसर की सुरक्षा में तैनात प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वह गेट संख्या–2 पर सुरक्षा हेतु समुचित कार्यवाही सम्पादित करें।

वाहय स्थित न्यायालय कोंच, जालौन एवं कालपी कन्टेनमेंट जोन से बाहर होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अधीन पूर्ववत् न्यायिक कार्य सम्पादित

करते रहेंगे।

सिस्टम आफिसर जालौन स्थान उरई को आदेशित किया जाता है कि वे इस आदेश को सी0पी0सी0 उच्च न्यायालय के बेवलिंक पर एवं जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई की बेवसाइट पर अविलम्ब अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन स्थान उरई को आदेशित किया जाता है कि वह इस आदेश का नियमानुसार प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड दीवानी न्यायालय, जालौन स्थान उरई पर चस्पा की जाये।

पीठासीन अधिकारी परिवार न्यायालय को सूचित किया जाये।

समस्त सम्बन्धित न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को सूचित किया जाये।

अध्यक्ष स्थाई लोक अदालत, जालौन स्थान उरई एवं पीठासीन अधिकारी किशोर न्याय बोर्ड, उरई जिला जालौन को भी सूचित किया जाये।

आदेश की एक प्रति जिला सूचना अधिकारी, जालौन स्थान उरई को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि यह सूचना जनहित में समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करायें।

इस आदेश के सम्बन्ध में श्रीमान् महानिबन्धक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को भी सूचित किया जाये।

Rita Gupta 18/9/2020
(रीता गुप्ता)
प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई
18.09.2020
District Judge
Jalaun at Orai

आदेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जालौन स्थान उरई।
3. जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालौन स्थान उरई।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, जालौन स्थान उरई।
6. प्रभारी अधिकारी, प्रशासन, जनपद न्यायालय उरई।
7. प्रभारी अधिकारी, नजारत, जनपद न्यायालय उरई।
8. नोडल आफिसर कम्प्यूटर अनुभाग जालौन स्थान उरई।
9. अध्यक्ष / सचिव समस्त बार एसोसियेशन, जालौन स्थान उरई।
10. सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन स्थान उरई।
11. जेल अधीक्षक, जिला कारागार, जालौन स्थान उरई।